

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 अक्टूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 (शक)
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 2010 / ASVINA 23, 1932 (Saka)

खंड XLIV
Vol. XLIV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 (शक)

दि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (2) दि वर्कमैनस कंपनसेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (3) दि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (रिपील) एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2009; (4) दि सैलरीज एंड एलाउन्सेस ऑफ मिनिस्टर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (5) दि सिविल डिफेन्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (6) दि रबर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (7) दि फाइनेन्स ऐक्ट, 2010; (8) दि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (9) दि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐक्ट, 2010; (10) दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (11) दि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010 और (12) दि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐक्ट, 2010 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, October 15, 2010/Asvina 23, 1932 (Saka)

The translation in Hindi of the Representation of the People (Amendment) Act, 2009; (2) The Workmen's Compensation (Amendment) Act, 2009; (3) The State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2009; (4) The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2009; (5) The Civil Defence (Amendment) Act, 2009; (6) The Rubber (Amendment) Act, 2009; (7) The Finance Act, 2010; (8) The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2010; (9) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010; (10) The Plantation Labour (Amendment) Act, 2010; (11) The Employee's State Insurance (Amendment) Act, 2010; and (12) The National Green Tribunal Act, 2010 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्याक 5, खंड XXXVI, तारीख 19 नवम्बर, 2000 में प्रकाशित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) का शुद्धिपत्र :

पृष्ठ सं०	प्रविष्टि	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
470	चौथी अनुसूची भाग 8- मध्य प्रदेश	3	23. खरिया	23. खड़िया
471	चौथी अनुसूची भाग 20- छत्तीसगढ़	29	22. खरिया.	22. खड़िया

विनोद कुमार भसीन,
सचिव, भारत सरकार।